भाग ४ (ग)
अन्तिम नियम

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 03 फरवरी, 2012

क्रमांक 304/मप्रविनिआ/2012. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2) (एच) तथा धारा 181(2) (जेडडी) सहपठित धारा 36 तथा धारा 61 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 जो कि दिनांक 8.5.2009 को अधिसूचित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 में चतुर्थ संशोधन

1. <u>प्रस्तावना</u>

जबकि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 दिनांक 8.5.2009 जिसकी नियंत्रण अवधि मार्च, 2012 तक है, दिनांक 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था । इसलिये, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें तथा प्रभार के निर्धारण के संबंध में वित्तीय तथा सिद्धान्त) विनियम 2009 से रेखाबद्ध किये जाने हेतु तथा नियंत्रण अवधि को मार्च 2013 तक बढ़ाने हेतु इस संशोधन की आवश्यकता है ।

2. <u>संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ</u> : 2.1 (i) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 (चतुर्थ संशोधन) {एआरजी–28 (I) (iv) 2012 का}"** कहलाएंगे ।

2.2 इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

2.3 ये विनियम तत्काल प्रभाव से मध्यप्रदेश राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा इनकी पूर्व में किसी प्रकार की समीक्षा न की जावे अथवा विस्तार न किया जावे, ये विनियम इनके प्रवृत्त होने की तिथि से माह मार्च, 2013 तक लागू रहेंगे ।

3. <u>विनियम में संशोधन</u> :

"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009" जिसे एतद् पश्चात "प्रधान संहिता कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, अर्थात्:–

(i) प्रधान संहिता के विनियम 8.1 एवं 15.1 के अन्तर्गत शब्द "मार्च 2012" को शब्द "मार्च 2013" से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) प्रधान संहिता के विनियम 17.2 एवं 24.3 के अंतर्गत शब्द "टैरिफ अवधि 2009–12" को शब्द "टैरिफ अवधि 2009–13" से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iii) प्रधान संहिता में विनियम 27.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"27.3 नियंत्रण अवधि के प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु छटवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का कर्मचारियों संबंधी लागत (Employees Cost) पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया गया है जिसके अनुसार अनुवर्ती वर्षों में 6.14% की दर से अभिवृद्धि की गई है । आयोग द्वारा दिनांक 31.8.2008 तक की अवधि हेतु बकाया राशि के व्यय पर वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रतिवर्ष एक तिहाई की दर पर विचार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन के आधार पर किया गया है । वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 तक की नियंत्रण अवधि के अन्त में कोई बकाया राशि जो भुगतान होने से रह गई हो, को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये वास्तविक भुगतान के आधार पर संसाधित किया जायेगा । नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष में बकाया राशि के वास्तविक भुगतान को प्रचालन तथा संधारण व्यय के अन्तर्गत संबंधित व्ययों द्वारा सत्यापित किया जायेगा ।"

(iv) प्रधान संहिता में विनियम 27.5 विलोपित किया जायेगा ।

(v) प्रधान संहिता में विनियम 27.6 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"27.6 (अ) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल/मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के अंतरितियों के कार्मिकों जो उनकी सेवा शर्तों के अनुसार पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के लिये दावेदार हैं, के संबंध में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं से संबंधित खर्चों को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की नियंत्रण अवधि के संबंधित टैरिफ वर्ष की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किये जाने हेतु व्यवस्था अनंतिम रूप में चालू रखी जाएगी ।

(ब) उपरोक्त (अ) के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये दर्शाये व्यय, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किये जायेंगे तथा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किये गये प्रावधानों की सीमा तक पूर्व जांच पश्चात् स्वीकार किया जायेगा । इन प्रावधानों का संबंधित टैरिफ वर्ष की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के सत्यापन के समय फिर से समीक्षा की जायेगी तथा किये गये वास्तविक भुगतान की सीमा तक स्वीकार किया जायेगा ।

(vi) प्रधान संहिता में विनियम 37.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् –

37.1 प्रचालन तथा संधारण व्ययों में कर्मियों पर व्यय, मरम्मत एवं संधारण (आर एण्ड एम) व्यय और प्रशासनिक तथा सामान्य (ए एण्ड जी) लागत सम्मिलित होंगे । प्रचालन तथा संधारण व्ययों के मानदण्ड

पारेषण लाईनों के सर्किट किलोमीटर तथा उपकेन्द्र पर 'बे' की संख्या के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। इन मानदण्डों में पेंशन, कर्मियों को देय टर्मिनल प्रसुविधाएं शासन को देय कर, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल व्यय तथा म.प्र विद्युत नियामक आयोग को देय शुल्क सम्मिलित नहीं हैं । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी शासन को देय करों की राशि तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को भुगतान किये जाने वाले शुल्क का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगा । पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं का दावा विनियम 27 के अनुसार किया जाएगा । प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड प्रति 100 सर्किट–किलोमीटर एवं प्रति 'बे' निम्नानुसार होंगे ।

प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड प्रति 100 सर्किट किलोमीटर एवं प्रति बे :

वित्तीय वर्ष

स. क्र.		2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
	तन्तु पथ (लाईनें)	रूपये लाख / 100 सर्किट किलोमीटर / वर्ष			
1.	400 केवी	29.1	30.8	32.6	34.5
2.	220 केवी	23.4	24.8	26.2	27.7
3.	132 केवी	22.0	23.3	24.6	26.0
	बे	रूपये लाख / बे / वर्ष			
1.	400 केवी	13.4	14.2	15.0	15.9
2.	220 केवी	10.0	10.6	11.2	11.9
3.	132 केवी	9.5	10.0	10.6	11.2

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.